न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 13/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2026/48

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

मनोहरसिंह पुत्र फतेहसिंह
जाति राजपूत निवासी थोब
तहसील कल्याणपुर जिला
बालोतरा

1.गोबरराम पुत्र स्वरुप
2.तुलछा पुत्र किशना
3.चिमनाराम पुत्र हरजीराम
4.समर्थाराम पुत्र हरजीराम
5.कुभांराम पुत्र धनाराम
6.मांगी पत्नि धनाराम
7.राजाराम पुत्र धनाराम
8.श्रवणराम पुत्र धनाराम
9.धापूदेवी पत्नि भंवराराम
10.मंजू पत्नि गोपाराम जाति कलबी
11.चन्दनसिंह पुत्र गुलाबसिंह
12.नाथूसिंह पुत्र गुलाबसिंह
13.तेजसिंह पुत्र गुलाबसिंह
14.परबतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
15.भगवतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
16.प्रेमसिंह पुत्र थानसिंह
17.सुरजकंवर पत्नि थानसिंह
18.हेमसिंह पुत्र थानसिंह
जाति राजपूत निवासी थोब
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
19.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार कल्याणपुर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 से 8
3.विप्रार्थी संख्या 1,2 व 9 से 19 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28/04/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 9 से 19 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.विप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 3 से 8 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओ को लेकर कोई विवाद नही है,मौके पर पुरानी माढे कायम है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे कभी भी दंखलदान्जी नही की गई है,जबकि प्रार्थी आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर विकल्प में निवेदन किया कि यदि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो साथ ही विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

6.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.12.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। जहां तक प्रार्थी की खातेदारी भूमि के साथ विप्रार्थी के खेत की नेखमबंदी करवाए जाने का वक्त बहस उजर उठाया गया था,जो स्वीकार योग्य नही है,क्योकि हस्तगत प्रकरण में सेढा पड़ौसियो की स्थिति विप्रार्थी की खेत से लगते सेढा पड़ौसियो की स्थिति में भिन्नता होगी। इस कारण विप्रार्थी अपनी ओर से पृथक प्रकरण लाने में स्वतंत्र रहेगा,लेकिन हस्तगत प्रकरण के जरिए नेखमबंदी करवाने का हकदार नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थी अपना आवेदन स्वीकार करवाने में सफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1740/1590 व 1748/1592 कुल क्षेत्रफल 12.6910 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कार्यवाही करवाने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है। पालना रिपोर्ट प्राप्त होनें पर शामिल मिसल हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/04/2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा